



# उत्तराखण्ड विधान सभा की कार्यसूची

बुधवार, 30 श्रावण, शक संवत्, 1946

( दिनांक : 21 अगस्त, 2024 )

समय : 11 : 00 बजे पूर्वाह्न

1. शुभारम्भ "वन्दे मातरम्" (देखिये नत्थी "क")।
2. उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम-315 के खण्ड (22) के अन्तर्गत मा0 अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।  
(कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशों के लिए देखिए नत्थी-"ख")
3. निधन के निदेश।
4. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली अध्यादेश, 2024 को सदन के पटल पर रखेंगे।
5. शहरी विकास मंत्री, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) अध्यादेश, 2024 को सदन के पटल पर रखेंगे।
6. शहरी विकास मंत्री, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (संशोधन) अध्यादेश, 2024 को सदन के पटल पर रखेंगे।
7. संसदीय कार्य मंत्री, उत्तराखण्ड विधान सभा के मा0 सदस्यों की सदन एवं निर्वाचन क्षेत्र, सेवा शर्तों पर विचार करने से सम्बन्धित तदर्थ समिति (2023-2024) (पंचम विधान सभा) का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

(मुद्रित प्रतियां बाद में  
वितरित की जायेंगी)

भराईसैण :  
दिनांक : 20 अगस्त, 2024

आज्ञा से,

(हिम चन्द्र पन्त)  
उप सचिव (लेखा),  
कृते सचिव।



नत्यी "क"

वन्दे मातरम्

वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्॥

सुजलाम्।

सुफलाम्,

मलयज-शीतलाम्।

शस्य श्यामलाम्।

मातरम्। वन्दे मातरम्॥

शुभ्र-ज्योत्सना-पुलकित-यामिनीम्

फुल्ल-कुसुमित-द्रुमदल-शोभिनीम्

सुहासिनीम्

सुमधुर भाषिणीम्

सुखदाम्

वरदाम्

मातरम्। वन्दे मातरम्॥

नत्थी "ख"

कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 20 अगस्त, 2024 की बैठक में दिनांक 21 तथा 22 अगस्त, 2024 के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है:-

**अगस्त, 2024**

21 (बुधवार)

1. निधन के निदेश।
2. अध्यादेशों का सदन के पटल पर रखा जाना।

22 (गुरुवार)

1. वित्तीय वर्ष 2024-2025 की प्रथम अनुपूरक अनुदान मांगों का प्रस्तुतीकरण। (अपराहन 04:00 बजे)